बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

बिहार राज्यपाल बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 16 (क) के अन्तर्गत श्रीमति पुनम कुमारी, श्रम अधीक्षक, डालमियानगर के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हैं तथा आदेश देते हैं कि उक्त नियमावली के नियम 17 में उपबन्धित रीति से श्रीमति पुनम कुमारी के विरूद्ध आरोपों की जॉच की जाय। कदाचार के आरोपों का सारांश, जिसके सम्बन्ध में जॉच कराने का प्रस्ताव है, उसे संलग्न आरोप पत्र (अनुलग्नक–I) में दिया जाता है। लेख्यों की सूची और साक्ष्यों की सूची जिसके द्वारा आरोपों को प्रमाणित किया जाता है, अनुलग्नक–2 में संलग्न है।

2. श्रीमति पुनम कुमारी, श्रम अधीक्षक, डालमियानगर को निर्देश दिया जाता है कि वे इस संकल्प की प्राप्ति के एक पक्ष (15 दिन) के अन्दर अपने बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें और यह अभिकथित करें कि क्या वे चाहती हैं कि स्वयं उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुना जाय।

3. उन्हें सूचित किया जाता है कि केवल उन्हीं आरोपों के संबंध में जॉच की जायेगी, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। इसलिए उन्हें विशिष्टतः प्रत्येक आरोप को स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए।

4. उक्त नियमावली के नियम 17 (5) (ग) के अन्तर्गत डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार, पटना को इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जॉच प्राधिकार नियुक्त किया जाता है तथा श्री अरूण कुमार नं0–1 अवर सचिव (श्रम पक्ष), श्रम संसाधन विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

5. श्रीमति पुनम कुमारी, श्रम अधीक्षक, डालमियानगर को सूचित किया जाता है कि कंडिका–2 में निर्धारित तिथि को यदि अपने बचाव में लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं करती हैं या जॉच पदाधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होती हैं या बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत नियमों का तथा नियमों के आलोक में निर्गत निर्देशों का अनुपालन नहीं करती हैं तो जॉच प्राधिकार उनके विरूद्ध एक पक्षीय जॉच कर सकते हैं।

6. श्रीमति पूनम कुमारी, श्रम अधीक्षक, डालमियानगर का ध्यान बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 22 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार कोई सरकारी सेवक किसी राजनैतिक या बाहरी दबाव, अपनी सेवा से संबंधित बातों के लिए, अपने उच्च पदाधिकारी पर नहीं दिलवा सकता है/ दिलवाने का प्रयास कर सकता है। अगर किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा इन आरोपों या कार्यवाही के संबंध में कोई आवेदन पत्र प्राप्त होता हैं तो यह समझा जाएगा की श्रीमति पूनम कुमारी को इसकी जानकारी है और उन्हीं के द्वारा यह दिलवाया गया है तथा संगत नियमावली के अधीन श्रीमति पूनम कुमारी, श्रम अधीक्षक, डालमियानगर के विरूद्ध अलग से कारवाई की जाएगी।

निबंधित

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोपित पदाधिकारी श्रीमति पुनम कुमारी, पद नाम–श्रम अधीक्षक, डालमियानगर, पता–सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, डालमियानगर, रोहतास को निबंधित डाक से आरोप पत्र एवं साक्ष्य सहित प्राप्त करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव
कृ0पृ0उ0

ज्ञाप सं0–6/श्रम वि0 आ0 (02)– 50/2015 श्र0सं0– 916 पटना, दिनांक– 12/4/2017

प्रतिलिपि– निम्नांकित को प्राप्त करायी जाय :–

1. डॉ0 वीरेन्द्र कुमार, संचालन पदाधिकारी–सह–संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही की जॉच तीन माह के अन्दर पूर्ण कर, जॉच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करने का कष्ट किया जाय। कार्यवाही अभिलेख में एक आदेश फलक (आर्डर सहित) जुड़ा रहना चाहिए।

2. श्री अरूण कुमार नं0–1 प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह–अवर सचिव (श्रम पक्ष), श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री अरूण कुमार नं0–1 प्रसंगाधीन विभागीय कार्यवाही में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेंगे।

3. श्रीमति पूनम कुमारी, आरोपित पदाधिकारी–सह–श्रम अधीक्षक, डालमियानगर, पता–सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, डालमियानगर, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्रीमति पूनम कुमारी को निबंधित डाक से संकल्प की प्रति प्राप्त कराई जाय)

अनु0 :– यथोक्त (संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं आरोपित पदाधिकारी को आरोप प्रपत्र– "क" एवं साक्ष्य की प्रति संकल्प के साथ प्राप्त कराई जाय)

4. श्रमायुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. दोनों, संयुक्त सचिव/प्रभारी प्रशाखा–1, 2 एवं गोपनीय चारित्री, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. सभी उप सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, अवर सचिव एवं सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8. प्रशाखा पदाधिकारी–6 श्रम संसाधन विभाग को संकल्प की पॉच अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

4 Shankalp